रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2009/पौष 17, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 282

No. 2] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2009/PAUSA 17, 1930 [N.C.T.D. No. 282

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

सं. फा. 08(86)/ईए/पर्या./2008/9473.—दिनांक 10-9-1992 की अधिसूचना संख्या यू.-11030/जे/91-यूटीएल के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा रिट याचिका (सी) संख्या 2004 का 6456 में दिनांक 7 अगस्त, 2008 के माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित निदेश देते हैं :

2. जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित स्थानों के संबंध में समस्त प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग, बिक्री एवं भंडारण पर प्रतिबंध है, अर्थात् :—

(क) पंचतारा एवं चारतारा होटल

(ख) 100 अथवा इससे अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल, जैव चिकित्सा अवशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 1998 के अधीन यथानिर्धारित प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग को छोड़कर ।

(ग) समस्त रेस्टोरेंट तथा भोजनालय जिसमें 50 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो ।

(घ) मदर डेरी की समस्त फल एवं सब्जी दुकानें ।

(ङ) समस्त शराब की दुकानें ।

(च) समस्त शॉपिंग मॉल ।

(छ) मुख्य बाजारों तथा स्थानीय खरीददारी केन्द्रों की समस्त दुकानें ।

(ज) ब्रांडिड दुकानों की समस्त खुदरा एवं थोक दुकानें जो फल एवं सब्जियों सहित विभिन्न उपभोक्ता उत्पाद बेचते हैं ।

3. उपरोक्त स्थानों तथा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा अनुपालित के अतिरिक्त अन्य स्थानों में केवल जैव अवक्रमित प्लास्टिक की थैलियां ही प्रयुक्त की जायेंगी ।

निम्नलिखित अधिकारी इन आदेशों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में क्रियान्वित करेंगे, अर्थात् :—

1. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति तथा उनका स्टॉफ ।

2. निदेशक पर्यावरण तथा स्टाफ पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
3. अतिरिक्त डिविजन मजिस्ट्रेट और उनका संबंधित जिला ।
4. उप डिविजन मजिस्ट्रेट और उनका संबंधित अधिकार क्षेत्र ।
5. पर्यावरणीय अभियन्ता, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में ।
6. अतिरिक्त आयुक्त (एफएल), दिल्ली नगर निगम ।
7. खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी और उनका संबंधित अधिकार क्षेत्र ।
8. स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ।
9. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
10. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम ।
11. खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली ।

4. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति उक्त आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए सह-समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे । दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव को दिनांक 3-9-1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 624(अ) के अनुसार आगे यथासंशोधित दिनांक 16-4-1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 394(अ) के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिये प्राधिकृत किया गया है ।

5. यह दिल्ली सरकार की पूर्व अधिसूचना संख्या एफ. 8(86)/ईए/पर्या./2005 (ii)/486 दिनांक 2 जून, 2005 तथा अधिसूचना संख्या एफ. 8(86)/ईए/पर्या./2005/450, दिनांक 25 मई, 2006 के अतिक्रमण में है ।

6. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुषमा जैरथ, उप-सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FOREST AND WILD LIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 7th January, 2009

No. F. 08(86)/EA/Env./2008/9473.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with notification No. U-11030/J/91-UTL dated 10-9-1992 and in compliance of the Hon'ble High Court of Delhi's order dated 7th August, 2008 in WP (C) No. 6456 of 2004, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby directs the following :

2. That the use, sale and storage of all kinds of plastic bags shall be forbidden in respect of the following places in the National Capital Territory of Delhi, namely :—

(a) Five Star and Four Star Hotels.

(b) Hospitals with 100 or more beds except for the use of plastic bags as prescribed under Bio Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998.

(c) All restaurants and eating places having seating capacity of more than 50 seats.

(d) All fruit and vegetable outlets of Mother Dairy.

(e) All liquor vends.

(f) All shopping Malls.

(g) All shops in main markets and local shopping centres.

(h) All retail and wholesale outlets of Branded chain of outlets selling different consumer products including fruits and vegetables.

3. In places other than the aforesaid places and as observed by the Hon'ble High Court of Delhi only Bio-degradable plastic bags shall be used.

The following Officers shall implement these orders in their respective jurisdiction namely :—

1. Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee and its staff.
2. Director Environment, and staff of Environment Dept. Govt. of Delhi.
3. Additional Divisional Magistrates in their respective district.
4. Sub-Divisional Magistrates in their respective jurisdiction.
5. Environmental Engineers, Delhi Pollution Control Committee in their respective jurisdiction.
6. Asstt. Commissioner (FL), Municipal Corporation of Delhi.
7. Food and Supply Officers, in their respective Jurisdiction.
8. Medical Officer Health, NDMC.
9. Director Health Services, Government of National Capital Territory of Delhi.
10. Municipal Health Officer, MCD.
11. Food Inspectors of PFA Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

4. Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee shall act as the co-ordinator to implement the above orders. The Chairman and Member Secretary of the Delhi Pollution Control Committee are authorised to lodge the complaint under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 *vide* notification No. S.O. 394(E) dated 16-4-1987 as further amended *vide* notification No. S.O. 624(E) dated 3-9-1996.

5. This is in supersession of the Government of Delhi's earlier notification no. F. 8(86)/EA/Env./2005 (ii)/486, dated the 2nd June, 2005 and notification No. F. 8(86)/EA/Env./2005/450, dated the 25th May, 2006.

6. This notification shall come into force with effect from the day it is notified in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUSHMA JERATH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.